राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

क्रमांकः–एफ13 / 1 / 3 / आरजीआई / वीएस / डीईएस / 2017 / 120 दिनांकः 10.02.2025

सिस्टम एनालिस्ट एवं संयुक्त निदेशक (UIDAI),
सूचना प्रौद्योगिकी एंव संचार विभाग
आई, टी. भवन जयपुर।

विषयः– आधार कार्ड में अंकित जन्म दिनांक में परिवर्तन / संशोधन के संबंध में।
संदर्भः– जिला कलक्टर दौसा का पत्रांक 155 दिनांक 16.01.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) के क्रम में निवेदन है कि जिला कलक्टर दौसा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभारी अधिकारी (संयुक्त निदेशक), यू.आई.डी. आई. द्वारा जारी पत्र दिनांक 21.10.2024 (प्रति संलग्न) के द्वारा आधार कार्ड में जन्मतिथि में एक से अधिक बार अद्यतन / संशोधन हेतु वैध जन्म प्रमाण पत्र के साथ–साथ प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये आदेश (विलम्बित जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में) एवं परिवादी की स्व–घोषणा के साथ आवेदन करने हेतु लिखा गया है जो कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, संशोधित अधिनियम 2023 एवं राज्य नियम 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन है एवं उक्त आदेशों से आमजन को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः अनुरोध है कि आधार में जन्म तिथि में संशोधन / अद्यतन के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र की वैधता का सत्यापन Pehchan Portal द्वारा आधार को जन्म पंजीयन हेतु दी गई API के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है अतः इस सम्बन्ध मे आवश्यक निर्देश जारी करवाने का श्रम करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डॉ.सुदेश कुमार)
अतिरक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं,
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)

योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर
जीवनांक शाखा / टोल फी नं. 1800 180 6785 / ऑफिस नं. 5167113
ई–मेल आई.डी. jdvital.des@rajasthan.gov.in

Document certified by SUDESH KUMAR
<Sudesh76agrawal@yahoo.com>.
Digitally Signed by DR. SUDESH KUMAR
Designation : Joint Director
Date :10-02-2025 01:10:45

RajKaj Ref No.: 13485909